बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक....................../   पटना, दिनांक...................
संoसंo–09/उoनिo (स्टार्ट–अप)–01–01/2026

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार स्टार्ट–अप नीति अंतर्गत भेन्चर कैपिटल में निवेश मद में मूल बजट उपबंध रु0 5000.00 लाख के विरूद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन रु0 1750.00 लाख (रूपये सत्रह करोड़ पचास लाख) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार स्टार्ट–अप नीति अंतर्गत भेन्चर कैपिटल में निवेश मद में मूल बजट उपबंध रु0 5000.00 लाख के विरूद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन रु0 1750.00 लाख (रूपये सत्रह करोड़ पचास लाख) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में भेन्चर कैपिटल में निवेश मद में स्वीकृत्यादेश संख्या–1471 दिनांक–11.04.2025 द्वारा प्रथम किस्त रु0 1650.00 लाख (रुपये सोलह करोड़ पचास लाख) मात्र तथा स्वीकृत्यादेश संख्या–3469 दिनांक–16.09.2025 द्वारा द्वितीय किस्त रु0 1600.00 लाख एवं प्रथम अनुपूरक रु0 1500.00 लाख मात्र अर्थात रु0 3100.00 लाख (रुपये इकतीस करोड़) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3. बिहार स्टार्ट–अप नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में समावेशी विकास के लिए एक अनुकूल स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्ट–अप और उद्यमियों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाना है। इसके तहत स्टार्ट–अप की व्यववहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ–साथ मैचिंग ग्राण्ट की सहायता प्रदान की जाती है।

4. स्टार्ट–अप्स के लिए उनके बिजनेस साइकिल के विभिन्न चरणों में फंडिंग सहायता मुहैया कराया जाता है, जिसके तहत 10 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रति स्टार्ट–अप 10.00 लाख रूपये तक का बीज अनुदान प्रदान किया जाता है तथा 10 साल बाद ऋण लौटाया जाता है।

5. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष –0102– भेन्चर कैपिटल में निवेश, विपत्र कोड–23–4851001900102, विषयशीर्ष–0102–54–01 निवेश मद में उपबंधित राशि से की जायेगी। जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

6. इस राशि की निकासी BTC Form –51 पर की जायेगी।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से एकमुश्त राशि बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक,

विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट के खाता संख्या–36594422474, IFSCode-SBIN0006379 में उपलब्ध करायेंगे, जिसका व्यय बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट के निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

9. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक–10.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561/वि (2) दिनांक–17.04.1998 के कंडिका–2 के आलोक में किया जायेगा तथा पत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि (2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12. योजना के अनुमोदन में संचिका संख्या–04तक0/स्टार्ट–अप नीति संशोधन/155/2021 के पृष्ठ–29/टि0 पर दिनांक–17.06.2022 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

13.प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश में संचिका संख्या–सं0सं0–09/उ०नि० (स्टार्ट–अप)–01–01/2026 के पृष्ठ–02/टि0 पर दिनांक–16.01.2026 को आंतरिक वित्तीयय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14.प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश में संचिका संख्या–सं0सं0–09/उ०नि० (स्टार्ट–अप)–01–01/2026 के पृष्ठ–03/टि0 पर दिनांक–29.01.2026 को सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अनिल कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–............../ /पटना, दिनांक–
सं0सं0–09/उ०नि० (स्टार्ट–अप)'–01–01/2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–433/ /पटना, दिनांक–06/2/26
सं0सं0–09/उ०नि० (स्टार्ट–अप)'–01–01/2026

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार स्टा्र्ट–अप फंड ट्रस्ट, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्मम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।